भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

LATEST NEWS

Election

Date : 20th Dec. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:
CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

Hindustan Times

Avoid colleges as poll stations: HC

JAIPUR/JODHPUR: The Rajasthan high court has directed the Election Commission of India to not use college and university campuses for general elections as far as possible. The order aims to prevent disruption caused by turning academic institutions into polling booths.

Justice Sameer Jain said that while elections are a constitutional necessity, they should not come at the disproportionate cost of academic disruption. "The Election Commission of India shall, in advance, evolve and adopt alternate arrangements for the conduct of elections, including but not limited to the use of community halls, government offices, or other public infrastructure, so that institutions of higher education remain insulated from avoidable academic disruption."

"Election planning and logistical arrangements shall factor in academic calendars of Universities and Colleges, particularly those operating under the semester system..." **HTC**

गणना-पत्र जमा नहीं करवाने वालों में 3294 का निधन हो गया, 6981 स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए

एसआईआर: अनूपगढ़ विधानसभा में अब 2.41 लाख मतदाता
12866 नाम कटे, 26 नए बूथ, 15 जन. तक मांगी आपत्तियां

भास्कर संवाददाता | अनूपगढ़

विधानसभा अनूपगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत मतदाताओं की अपडेट सूची जारी कर दी। इसमें 2 लाख 41 हजार 93 मतदाता हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 12866 मतदाताओं से गणना पत्र जमा नहीं करवाए। इनमें से 3294 मदताताओं का निधन हो चुका है, जबकि 6981 स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, 1880 अनुपस्थित हैं, 704 मतदाताओं के दोहरे वोट पाए गए जबकि 7 अन्य हैं।

इस बीच 26 नए बूथ भी बनाए गए हैं। इस बीच मतदाताओं को राहत देते हुए 1200 से अधिक वोटर वाले बूथों का भी पुनर्गठन किया है। पूर्व में विधानसभा क्षेत्र में 244 बूथ थे जो अब बढ़कर 270 हो गए। अब 1200 से अधिक वोटर वाला कोई भी बूथ नहीं है। निर्वाचन अधिकारी सुरेश राव ने बताया अब 15 जनवरी 2026 तक इस सूची के संबंध में दावे व आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध 15 दिन में पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकेगी।

जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर के समक्ष अगले 30 दिन में करनी होगी। एसआईआर की प्रक्रिया में अब तक 788 नागरिकों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन व ऑफ लाइन फार्म नंबर -6 जमा करवाए हैं। जांच में सही पाए जाने पर नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए जाएंगे।

एसडीएम ने विधानसभा क्षेत्र के सभी 270 बीएलओ को निर्देशित किया है कि आगामी दिनों में अधिक से अधिक पात्र लोगों ने फार्म नंबर 6 भरवाएं ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को होगा।

जैतसर: 436 वोट हटाए, एक मतदान बूथ बढ़ाया, आपत्तियों का निस्तारण 7 फरवरी तक

जैतसर | मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत कस्बे में 436 वोट हटाए गए हैं। निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी सूरतगढ़ ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची का प्रारूप कुछ दिन पूर्व जारी कर दिया था। जानकारी के अनुसार जैतसर में 436 वोटों को अनुपस्थित, स्थानांतरित व मृत श्रेणी का होने के चलते हटाया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में निर्धारित फार्म भरकर 15 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। 7 फरवरी तक इनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 14 फरवरी तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

वहीं कस्बे में पूर्व में चार मतदान केंद्रों में बढ़ोतरी करते हुए एक मतदान केंद्र और बनाया गया है। अब पांच मतदान केंद्र कर दिए गए हैं। निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक एक मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाताओं की संख्या नहीं हो सकती है। पिछले वर्ष लोकसभा व विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशासन ने यहां एक मतदान बूथ हटा दिया था। जिसके चलते मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था।

अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बढ़ाए गए 26 मतदान केंद्र, 244 मतदान केंद्र के स्थान पर अब 270 मतदान केंद्र

बैठक में उपस्थित निर्वाचन अधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। (चुघ)

अनूपगढ़, 19 दिसम्बर (चुघ): भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 को आधार मानते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनूपगढ़ में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026) संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसे लेकर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनूपगढ़ के कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए एवं प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन अधिकारियों ने आगामी चुनावों को सुचारु, पारदर्शी एवं मतदाता-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से केवल मतदाता सूची के शुद्धिकरण तक ही सीमित न रहते हुए मतदान केंद्रों के पुनर्गठन पर भी विशेष रूप से कार्य किया गया है।

निर्वाचन अधिकारी सुरेश राव ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पूर्व में कुल 244 मतदान केंद्र संचालित थे, जिनमें से कई बूथों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक हो चुकी थी। अधिक मतदाता भार के कारण मतदान के दिन अव्यवस्था, लंबी कतारें तथा मतदाताओं को असुविधा की आशंका बनी रहती थी। इसी समस्या के समाधान हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा 1200 से अधिक मतदाताओं वाले सभी बूथों का पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थीकरण किया गया। इस प्रक्रिया के तहत 26 नए मतदान केंद्र सृजित किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनूपगढ़ में मतदान केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 270 हो गई है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार यह पुनर्गठन आगामी चुनावों में मतदान प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और सुगम बनाएगा।

बैठक में बताया गया कि नए मतदान केंद्रों का निर्धारण मतदाताओं की भौगोलिक स्थिति, आबादी के विस्तार, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय क्षेत्रों की संरचना को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि प्रत्येक मतदाता को अपने निवास स्थान के समीप ही मतदान केंद्र उपलब्ध हो सके। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, दूरस्थ ढाणियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और मतदान प्रतिशत में वृद्धि होने की संभावना है। निर्वाचन अधिकारी राव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभी 270 मतदान केंद्रों की सूची उपलब्ध करवाई। बैठक में मतदाता सूची से जुड़े आंकड़ों की भी विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि एसआईआर-2026 के अंतर्गत 4 नवंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक चले गणना चरण में विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कुल 2,53,959 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए। इनमें से 2,41,093 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा कराए, जिनके नाम 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किए गए हैं। वहीं 12,866 मतदाताओं के गणना प्रपत्र आपत्तिजनक पाए गए, जिनमें 3,294 मृत, 6,981 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 1,880 अनुपस्थित, 704 एकाधिक स्थानों पर पंजीकृत तथा अन्य 7 प्रकरण शामिल हैं। इन सभी आपत्तिजनक प्रविष्टियों की सूची भारत निर्वाचन आयोग राजस्थान एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है, साथ ही मतदान केंद्रों, ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं नगरीय निकाय कार्यालयों में भी चस्पा की गई है। निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।

इसके पश्चात 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को यह जानकारी भी दी कि यदि किसी मतदाता को ईआरओ के निर्णय से असंतोष हो तो वह 15 दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील कर सकता है, जबकि प्रथम अपील से असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिवस के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील की जा सकती है।

बैठक में भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी एवं सीपीआई (एम) सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उपस्थित प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची की हार्ड कॉपी के साथ-साथ फोटो रहित सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध करवाई गई।

उपखंड अधिकारी सुरेश राव ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण और मतदान केंद्रों का पुनर्गठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है और इससे आने वाले चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी तथा मतदान प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण और पारदर्शी रहेगी।

लोक सम्मत

अनूपगढ़ मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन, 12866 नाम हटाए गए

» 2.41 लाख मतदाता, 15 जनवरी तक दर्ज होंगी आपत्तियां

श्रीगंगानगर।

अनूपगढ़ विधानसभा में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत मतदाताओं की अद्यतन सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। विधानसभा में कुल 2 लाख 41 हजार 93 मतदाताओं की सूची जारी की गई है। इस प्रक्रिया में 12,866 मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए, जिसके बाद उनके नाम हटा दिए गए।

निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सुरेश राव ने बताया कि हटाए गए नामों में 3,294 मृत, 6,981 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 1,880 अनुपस्थित, 704 एकाधिक और 7 अन्य मतदाता शामिल थे। प्रारूप प्रकाशन के बाद अनूपगढ़ विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 2,41,093 रह गई है।

अब इस सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां 15 जनवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। निर्वाचन अधिकारी (ईआरओ) के निर्णय के विरुद्ध 15 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी, जो कि जिला मजिस्ट्रेट हैं, को आपत्ति की जा सकेगी।

यदि आवेदक असंतुष्ट होता है, तो द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर के समक्ष अगले 30 दिन में की जा सकेगी। इसी दौरान अब तक 788 नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 ऑनलाइन व ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच के बाद नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए जाएंगे।

निर्वाचन अधिकारी राव ने विधानसभा के सभी 270 बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि आगामी दिनों में अधिक से अधिक फॉर्म नंबर 6 भरवाए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा नए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकें। सूचियों का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को होगा। उन्होंने बताया कि बुधवार को सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें प्रारूप प्रकाशन सूची की एक-एक कॉपी भी दी गई है।

मतदाताओं की सुविधा के लिए 1200 से अधिक वोटर वाले बूथों का भी पुनर्गठन किया गया है। पूर्व में विधानसभा में 244 बूथ थे, जो अब बढ़कर 270 हो चुके हैं। अब 1200 से अधिक वोटर वाला कोई भी मतदान केंद्र नहीं है।